

GENERAL ADMINISTRATION (SERVICES)

The 29th August, 1986

No. 50/103/86-S(I).—In exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 20 of the Code of Criminal Procedure, 1973, Shri Shyam Sunder Prasad, I.A.S., Sub-Divisional Officer (Civil), Ballabgarh, an Executive Magistrate, is placed in charge of the Ballabgarh Sub-division of the Faridabad District from the date of his taking over charge of duties in the District.

L. S. M. SALINS, Jt. Secy.

FINANCE DEPARTMENT

The 12th August, 1986

No. 16/4/86-38A.—In consultation with the Haryana Public Service Commission, the Governor of Haryana is pleased to promote Shri R. S. Gupta, Senior Auditor, as Resident Audit Officer in the Local Audit Department, Haryana, in Gazetted Class II service in the pay scale of Rs 800—30—890/940—40—1,100—50—1,600 in the officiating capacity with effect from 18th November, 1985 (afternoon).

The grade will carry allowances as are sanctioned by the Haryana Government for its employees from time to time.

His appointment will be governed by the Haryana Local Fund Audit (Group B) Service Rules, 1981, as amended from time to time.

A. N. MATHUR, Commr. & Secy.

श्रम विभाग

दिनांक 12 अगस्त, 1986

सं० 12 (43) 82-2 श्रम.—टेका श्रम (विनियम और उत्सादन) अधिनियम, 1970 (1970 का केन्द्रीय अधिनियम 37) की धारा 10 की उपधारा (1) द्वारा प्रदान की गई शवितयों का प्रयोग करते हुए तथा हरियाणा सरकार, श्रम विभाग, अधिसूचना सं० 12 (43) 82-2 श्रम, दिनांक 16 जुलाई, 1985, जो हरियाणा राजपत्र में 13 अगस्त, 1985, को छापा में, हरियाणा के राज्यपाल रामेश सलाहकार टेका श्रम बोर्ड से परामर्श करने के पश्चात् इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से तीन मास की अवधि की समाप्ति के पश्चात् 31 मार्च, 1986, की अवधि की समाप्ति के पश्चात् इसके द्वारा मौजूद नेशनल पर्टीलाईजर लिमिटेड, पार्नीपत, बी रथाना में दिग्न संदर्भ संदिग्य में टेका श्रम के दियेउनों का प्रतिषेध करते हैं, अर्थात् :—

1. संयंत्र क्षेत्र में ज्ञाहू लगाना और सफाई करना तथा
2. थेला भराई संयंत्र में यूरिया थेलों की सिलाई करना।

कुलबन्त सिंह, सचिव।

राजस्व विभाग

पृष्ठ जागीर

दिनांक 28 अगस्त, 1986

श्रमांक 781-ज-(I)-86/25992.—श्री महानन्द, पुत्र श्री मुंशी राम, गांव बलां, तहसील करनाल, जिला करनाल, की दिनांक 19, जुलाई 1985, को हुई मृत्यु के परिणामस्वरूप, हरियाणा के राज्यपाल पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 4 एवं 2(ए)(1) तथा 3(1)(ए) के अधीन प्रदान की गई शवितयों का प्रयोग करते हुए, श्री महानन्द की मुबिलग 300 रुपये वार्षिक की जागीर, जो उसे हरियाणा सरकार की अधिसूचना श्रमांक 2901-ज-(II)-73/29625, दिनांक 5 सितम्बर, 1974, तथा 1789-ज-(I)-79/44040, दिनांक 30 अक्टूबर, 1979, द्वारा मंजूर की गई थी, अब उसकी विधवा श्रीमती शान्ती देवी के नाम रखी, 1986 से 300 रुपये वार्षिक की दर से सनद में दी गई शर्तों के अन्तर्गत प्रदान करते हैं।